



Ref no. (केवल कार्यालय प्रयोग के लिये)

आवेदन फॉर्म

हाउसिंग एक्ट 2004

इम्प्लूवमेंट नोटिस, प्रोहिबिशन ऑर्डर, डिमोलिशन

ऑर्डर और इमरजेन्सी उपायों से सम्बन्धित आवेदन पत्र

यह अनिवार्य है कि आप इस फॉर्म को भरने से पहले नीचे दिए गए नोट्स को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। यदि इस फॉर्म को भरने या रेजिडेंशियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल (आर पी टी) के बारे में आपके कोई- प्रश्न हैं, कृपया हमें इस नम्बर पर फोन करें : **0845 600 3178**

यदि आप अनुलग्नक¹ (पेज 7) पर सूचीबद्ध कोई प्रार्थना पत्र रेजिडेंशियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल (आर पी टी) को देने के बारे में नीयत करना चाहते हैं तो प्रयोग करने के लिये यह सही फार्म है।

कृपया सेक्शन 13 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज इस आवेदन फॉर्म के साथ ना भेजें। यदि या जबभी कभी किसी साक्ष्य की जरूरत होगी तो आपको अलग से भेजने के लिए कहा जाएगा। कृपया इस आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भर कर फ्रीस तथा बताए गए निश्चित दस्तावेजों सहित उप्युक्त पैनल को भेजें (पैनल पते के लिए अनुलग्नक 3 पेज 11 देखें)।

मार्गदर्शन नोट

यहाँ प्रयुक्त शब्द "प्रार्थना पत्र" अपील तथा प्रार्थना पत्रों की ओर संकेत करता है जो कि इस फॉर्म के अनुलग्नक 1 पर दर्ज हैं।

1. निवेदक(कों) का ब्योरा

(यदि अनेक आवेदक हैं तो कृपया अलग शीट पर जारी रखें)

नाम: _____

पता (पोस्ट कोड सहित): _____

पत्रव्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): _____

टेलीफोन: दिन के समय: _____ शाम के समय: _____ मोबाइल: _____

ईमेल का पता: _____

क्षमता (जैसे कि लेण्डलॉर्ड, स्वामी, हाउसिंग आफिस): _____

* जहां प्रतिनिधि का ब्योरा दिया गया है, सारा पत्रव्यवहार और आदान प्रदान उन्ही के साथ होगा जब तक ट्रिब्यूनल को सूचित नहीं किया जाता कि वह आगे के लिये कार्य वाहक नहीं हैं।

2. विपयवक्त सम्पत्ति का पता (पोस्ट कोड सहित)

3. सम्पत्ति का संक्षेप में वर्णन (जैसे कि: विकटोरिअन मैनशॉन बलॉक 12 फ्लेटो के साथ) और सम्पत्ति के साथ आवेदक का सम्बन्ध

4. प्रतिवादी (यो) का ब्योरा (यदि निर्णय या आर्डर ठे विरुध अपील की जा रही हो तो सामान्य स्तर पर प्रतिवादी ही लोकल हाउसिंग एथोरिटी का जारीकर्ता होगा ।

नाम: _____

पता (पोस्ट कोड सहित): _____

पत्रव्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): _____

टैलीफोन: दिन के समय: _____ शाम के समय: _____ मोबाइल: _____

ईमेल का पता: (यदि मालूम हो) _____ फैंक्स: _____

क्षमता (जैसे कि लैण्डलॉर्ड ,स्वामी,हाउसिंग आफिसर) : _____

5. लैण्डलॉर्ड का ब्योरा (यदि पहले नहीं दिया गया)

नाम: _____

पता (पोस्ट कोड सहित): _____

टैलीफोन:दिन के समय: _____ शाम के समय: _____ मोबाइल: _____

ईमेल का पता: _____ फैंक्स: _____

6. किसी इच्छुक व्यक्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग शीट जारी करें)

नाम: _____
पता (पोस्ट कोड सहित): _____

नाम: _____
पत्रव्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): _____

मार्गदर्शन नोट

कोई इच्छुक या दूसरे व्यक्ति इस प्रोसेडिंग में आवेदक या प्रतिवादी के रूप में शामिल होना चाहते हैं, यदि आप उनका नाम और पता जानते हैं तो यहाँ जरूर दर्ज करने चाहिए। कोई इच्छुक या दूसरा व्यक्ति या सम्पत्ति सम्बन्धित लोकल हाउसिंग एथोरिटी (अगर वो पहले से प्रतिवादी नहीं है) तो वे अपील या आवेदन पत्र देने के पात्र हैं।

7. आवेदन पत्र का प्रारूप

कृपया प्रार्थना पत्र के उस प्रारूप का उल्लेख करें जो आप बनाना चाहते हैं। ये रेजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल (आर पी टी) की मदद करेगा यदि आप इस आवेदन पत्र की लिस्ट में दिए गए अनुलग्नक 1 (पेज 7) का इस्तेमाल कर सकते हैं और सम्बन्धित आवेदन पत्र का नम्बर और वर्णन दर्शा सकते हैं।

यह आवेदन पत्र के प्रारूप पर निर्भर करता है। ट्रिब्यूनल को इसमें तथ्यों की सच्चाई की जानकारी पाने में विश्वस्त सूचनाये सहायता करती है। कृपया (ए) तथा (बी) प्रश्नों को पढ़ें और यथोचित रूप से पूरा करें।

(ए) अगर आप किसी आदेश या सूचना की सेवा के विरुद्ध अपील कर रहे हैं तो आपने वो आदेश अथवा नोटिस कब प्राप्त की?

(बी) अगर आप अपने लोकल हाउसिंग एथोरिटी के निर्णय के विरुद्ध अपील कर रहे हैं तो वो निर्णय कब हुआ और आपने उसके बारे में कब जाना ?

(सी) अगर आप इम्यूवमेंट नोटिस के विरुद्ध अपील कर रहे हैं और अपील का एक आधार यह है कि दूसरे व्यक्ति को सम्बन्धित कार्यवाही करनी चाहिए या कीमत का हिस्सा बॉटना चाहिए तो क्या आपने इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी उस व्यक्ति को दी है।

हां नहीं

कृपया उस व्यक्ति का नाम और पता (पोस्ट कोड सहित) उपलब्ध करायें

कृपया अपने आवेदन पत्र में आवेदन का आधार नामक संलग्न प्रोफार्में (पेज 6) पर अपने केंस का आधार लिखें। अपील या आवेदन के लिए समय सीमा का निर्धारण अनुलग्नक 1 (पेज 7) पर लिखा गया है।

8. अन्य आवेदन पत्र

क्या आप किसी अन्य हाउसिंग एक्ट 2004 के प्राथना पत्र से जुड़े हैं या क्या आप किसी दूसरे प्राथना पत्र के बारे में जानते हैं जो इस प्राथना पत्र में दी गई प्रापटी या स्वामी के बारे में हो तो कृपया विस्तार से बताएं।

9. क्या हम बिना सुनवाई के आपके आवेदन के साथ निपट सकते हैं?

अगर ट्रिब्यूनल इसे उपयुक्त समझे और कोई पार्टी सुनवाई की जरूरत नहीं समझती तो ये सम्भव है कि आपका आवेदन पर केवल लिखित प्रतिवेदन के आधार पर विचार किया जाये।

कृपया हमें बताएं यदि ट्रिब्यूनल इसे उपयुक्त समझे तो क्या आप अपने आवेदन को कागज़ पर हल करने से खुश हैं।

हां

नहीं

नोट करें: चाहे आपने कागज़ी कार्यवाही से फेंसला करने के लिये कहा हो ट्रिब्यूनल निर्णय ले सकती है कि सुनवाई जरूरी है। आप अन्तिम पादान पर भी सुनवाई के लिए विनती कर सकते हैं।

कृपया इस प्रपत्र को यह मानकर पूरा करें कि इसकी सुनवाई होगी।

10. आवेदन पत्र की अत्यावश्यकता

हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या इस कंस को शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता है।

कृपया हमें ये बतायें कि क्या इस कंस के निष्कर्ष की विशेष शीघ्रता है यदि हां तो क्यों?

11. उपलब्धि

यदि कोई ऐसे दिन या तारीखें हैं जिन्हें अगले तीन महीने में प्रयोग करने से हम गुरेज करें तो (आपकी सहूलियत के लिये या किसी गवाह, माहिर की सहूलियत के लिये जिसे आप बुलाना चाहते हैं) कृपया उनकी सूची यहां दें।

तारीखें जिनपर आप उपलब्ध नहीं होंगे:

12. स्थान की आवश्यकता

यदि आपकी या आपके साथ आने वाले किसी की कोई खास आवश्यकताये हैं तो कृपया उनका ब्योरा प्रदान करें (जैसे कि व्हील चेअर का प्रयोग/या दुभाषीये का मौजूद होना):

लंडन में, कंस आम तौर पर अल्फ्रेड प्लेस में सुने जाते हैं जो पूरी तरह व्हील चेअर द्वारा पहुँच के योग्य है। अन्य स्थानों पर, सुनवाई लोकल सम्मेलन स्थानों में होती है जो सभी इतनी आसानी से पहुँच के योग्य नहीं हैं और क्लर्कों को यह जानना लाभकारी लगेगा यदि आपकी या आपके साथ सुनवाई पर आने वाले किसी की इस प्रकार की कोई खास जरूरत है।

13. दस्तावेज

आपके आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद आपके कंस की सहायता हेतु आपसे दस्तावेजों के नम्बर (जैसे बण्डल से संदर्भित) प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यद्यपि इस स्थिति में आपको इस फार्म के अनुलग्नक 2 (पेज 9) में कहे गए दस्तावेज जरूर लगाने चाहिये जो दिए जाने वाले आवेदन पत्र से सम्बंधित हैं। इन दस्तावेजों को लगाने में असफल रहने पर आपको प्रार्थना पत्र देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल को अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ने पर आपको बाद में कहा जाएगा।

14. शुल्क

अधिकांशतया आवेदक £150 की फीस की ओर ध्यान देते हैं। कृपया "क्या फीस देय है" की निश्चितता के लिए अनुलग्नक 1 (पेज 7) देखें।

15. बैंकलिस्ट

कृपया बैंक करें :

- कि आपने यह फार्म पूरी तरह से भरा है। ट्रिब्यूनल तब तक आपके आवेदन पर कार्यवाही नहीं करेगा जब तक यह नहीं होता। कृपया निश्चित करें कि आपके आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेजों और फीस की प्रतिलिपी दोनों लगाये हैं:
- आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपी संलग्न की गई है।
- फीस (यदि देय है) हेतु क्रॉसड बैंक या पोस्टल आर्डर संलग्न है। कृपया जो बैंक आप भेजें उसके पीछे अपना नाम और पता लिख दें।

किसी भी स्थिति में नकद राशि ना भेजें। नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी और किसी भी आवेदन के साथ नकद राशि होने पर आवेदन पत्र वापस भेज दिया जाएगा। फीस हेतु क्रॉसड बैंक या पोस्टल आर्डर "द डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्युनिटीस एण्ड लोकल गवर्नमेंट" के पक्ष में भेजें।

शुल्क माफी

अगर आप निश्चित आय से सम्बंधित लाभ प्राप्त करते हैं तब आप फीस माफी का आवेदन पत्र देने के पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रार्थना पत्र के साथ पैनल ऑफिस से संपर्क करें और वे आपको निश्चित लाभ की पात्रता का फार्म भेजेंगे।

16. सच्चाई का ब्यान

मेरा यकीन है कि इस आवेदन में दिये गये तथ्य सत्य हैं।

हस्ताक्षर:

नाम (बड़े अक्षरों में):

तिथी:

अनुलग्नक 1: हाउसिंग एक्ट 2004 के अधीन रेजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल को दिए जाने वाले प्राथना पत्रों की सूची (या हाउसिंग एक्ट 1985)

यह सूची केवल इम्प्लूवमेंट नोटिस, प्रोहिबिशन ऑर्डर, डिमोलिशन ऑर्डर और इमरजेन्सी उपायों के तथ्यों से सम्बन्धित है।

क्रम संख्या के प्रथम कॉलम में (*) चिन्ह इस बात को इंगित करता है कि इस प्राथना पत्र के साथ फीस की आवश्यकता है।

शब्दों का संक्षिप्त रूप:

एल.एच.ए = लोकल हाउसिंग एथोरिटी

क्रम संख्या	हाउसिंग एक्ट 2004 की धाराएं	आवेदन पत्र का प्रकार	अपील की समय सीमा जहां उल्लेख किया हो
1*	अनुसूची 1, अनुच्छेद 10(1)	इम्प्लूवमेंट नोटिस उस व्यक्ति द्वारा इम्प्लूवमेंट नोटिस (जिसे यह भेजा गया है) के विरुद्ध अपील।	21 दिन
2*	अनुसूची 1, अनुच्छेद 13(1)	इम्प्लूवमेंट नोटिस एल.एच.ए द्वारा इम्प्लूवमेंट नोटिस को बदलने या इम्प्लूवमेंट नोटिस को निरस्त या बदलने से मना करने के फैसले के विरुद्ध अपील।	28 दिन
3*	अनुसूची 2, पैरा. 7(1)	प्रोहिबिशन ऑर्डर प्रोहिबिशन ऑर्डर के विरुद्ध अपील।	28 दिन
4*	अनुसूची 2, अनुच्छेद 9(1)	प्रोहिबिशन ऑर्डर एल.एच.ए द्वारा प्रोहिबिशन ऑर्डर को बदलने या इम्प्लूवमेंट नोटिस को निरस्त या बदलने से मना करने के फैसले के विरुद्ध अपील।	28 दिन
5*	सेक्शन 22(9)	प्रोहिबिशन ऑर्डर सेक्शन 22(4) के अन्तर्गत विशेष हस्तमाल की स्वीकृति देने से मना करने के एल.एच.ए के निर्णय के विरुद्ध अपील।	28 दिन
6*	अनुसूची 3, पैरा. 11(1)	इम्प्लूवमेंट नोटिस पार्ट 3 के अनुसूची 3 के अन्तर्गत खर्चों की वसूली की मांग के विरुद्ध अपील, जहाँ एल.एच.ए इम्प्लूवमेंट नोटिस के अन्तर्गत बिना समझौते के कार्यवाही करता है 11(4) के अन्तर्गत इस आधार पर कि उद्देश्य के आज्ञानुसार उचित सुधार किया गया है कि अपील सहित।	21 दिन
7	सेक्शन 34(2)	प्रोहिबिशन ऑर्डर एक आदेश के निर्धारण या लीज के बदलाव के लिए पट्टाधारी या पट्टे पर देने वाले द्वारा आवेदन पत्र जहाँ निषेध आज्ञा लागू हो चुका हो।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
8	सेक्शन 45(1)	इमरजेन्सी रिमेडियल एक्शन एल.एच.ए द्वारा इमरजेन्सी रिमेडियल कार्यवाही करने के निर्णय के विरुद्ध अपील।	28 दिन
9	सेक्शन 45(2)	इमरजेन्सी प्रोहिबिशन ऑर्डर एक इमरजेन्सी प्रोहिबिशन ऑर्डर के विरुद्ध अपील।	28 दिन
10*	अनुसूची 3, अनुच्छेद 11(1) सेक्शन 42 द्वारा लागू किया गया	इमरजेन्सी रिमेडियल एक्शन खर्चों की वसूली की मांग के विरुद्ध अपील जहाँ एल.एच.ए इमरजेन्सी रिमेडियल एक्शन लेता है।	21 दिन

(जारी है)

अनुलग्नक 1: हाउसिंग एक्ट 2004 के अधीन रेजीडेन्शियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल को दिए जाने वाले प्रार्थना पत्रों की सूची (या हाउसिंग एक्ट 1985) (जारी है)

शब्दों का संक्षिप्त रूप :

एल.एच.ए. = लोकल हाउसिंग एथॉरिटी

क्रम संख्या	हाउसिंग एक्ट 2004 की धाराएं	आवेदन पत्र का प्रकार	अपील की समय सीमा जहां उल्लेख किया हो
11	अनुसूची 3, अनुच्छेद 14	इम्पूवमेंट नोटिस/ इमरजेन्सी रिमेडियल एकशन एल.एच.ए. द्वारा ट्रिब्यूनल को एक आदेश के लिए आवेदन कि एक व्यक्ति एल.एच.ए. से लाभ ले रहा है इम्पूवमेंट नोटिस के संदर्भ में अनुसूची 3 के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए या एल.एच.ए. को भुगतान करने के लिए इमरजेन्सी रिमेडियल कार्यवाही की जाए।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
12*	सेक्शन 269(1) हाउसिंग एक्ट 1985 जो सेक्शन 48 हाउसिंग एक्ट 2004 द्वारा संशोधित है	डिमोलिशन ऑर्डर हाउसिंग एक्ट 1985 सेक्शन 269(a) में वर्जित आधार पर एक अपील को शामिल करते हुए डिमोलिशन ऑर्डर के विरुद्ध अपील।	28 दिन
13	सेक्शन 272(1) (2)(a) हाउसिंग एक्ट 1985 जो सेक्शन 48 हाउसिंग एक्ट 2004 द्वारा संशोधित है	डिमोलिशन ऑर्डर सेक्शन 271 को एक डिमोलिशन ऑर्डर को क्रियान्वित करने में एल.एच.ए. के खर्चों की वसूली के संबंध में संयुक्त मालिकों द्वारा हिस्सा देने के निर्धारण सहित एक आवेदन पत्र।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
14	सेक्शन 272(2)(b) हाउसिंग एक्ट 1985 जो सेक्शन 48 हाउसिंग एक्ट 2004 द्वारा संशोधित है	डिमोलिशन ऑर्डर सम्बन्ध निवास/ परीसर के संयुक्त मालिकों से एक आवेदन पत्र ये निर्धारण करने के लिए कि अतिरिक्त हिस्से का एल.एच.ए. भुगतान करे। (जो डिमोलिशन ऑर्डर के क्रियान्वित के लिए एल.एच.ए. ने उसे वसूला था)।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
15	सेक्शन 317 हाउसिंग एक्ट 1985 जो सेक्शन 48 हाउसिंग एक्ट 2004 द्वारा संशोधित है	डिमोलिशन ऑर्डर भवन/परीसर के पट्टाधारी या पट्टे पर देने वाले द्वारा एक आवेदन पत्र जिसके लिए डिमोलिशन ऑर्डर को क्रियान्वित दिया, उस आदेश को निर्धारित करने या परिवर्तित करने के लिए।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं
16*	सेक्शन 318(1) हाउसिंग एक्ट 1985 जो सेक्शन 48 हाउसिंग एक्ट 2004 द्वारा संशोधित है	नाकाबिल अहाते पर काम आरम्भ करना नाकाबिल आहाते में रूची वाले व्यक्ति द्वारा उस ज़मीन पर जा कर काम शुरू करने के अधिकार का आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन; और आवेदक से ली गई लीस को और लीस के किसी डैरीवेटिव्स को निर्धारित करने के आदेश के लिये।	किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं

अनुलग्नक 2: प्रार्थना पत्र साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

आवेदन पत्र नम्बर	शामिल किए जाने वाले दस्तावेज
1	ए) इम्पूवमेन्ट नोटिस की प्रतिलिपी (किसी अनुसूची सहित) बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान
2	बी) इम्पूवमेन्ट नोटिस की प्रतिलिपी (किसी अनुसूची सहित) सी) एल.एच.ए के कारणों का बयान डी) प्रार्थना पत्र को परिवर्तित करने या निरस्त करने पर एल.एच.ए के निर्णय की प्रतिलिपी
3	ए) प्रोहिबिशन ऑर्डर की प्रतिलिपी बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान
4	ए) प्रोहिबिशन ऑर्डर की प्रतिलिपी बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान सी) प्रार्थना पत्र को परिवर्तित करने या निरस्त करने पर एल.एच.ए के निर्णय की प्रतिलिपी
5	ए) प्रोहिबिशन ऑर्डर की प्रतिलिपी बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान सी) एल.एच.ए के निर्णय की प्रतिलिपी
6 & 10	ए) इम्पूवमेन्ट नोटिस की प्रतिलिपी या(जिस तरह का केंस है) इमरजेन्सी रिमेडियल एकशन का नोटिस बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान सी) एल.एच.ए के नोटिस की प्रतिलिपी जो भवन/परिसर की कार्यवाही चलाने को ध्यान आकर्षित करे । डी) खर्चों के लिए एल.एच.ए की माँग की प्रतिलिपी इ) अगर प्रासंगिक हो तो प्रगती का विवरण जिस उद्देश्य के लिए आज्ञा दी गई ।
7	ए) प्रोहिबिशन ऑर्डर की प्रतिलिपी बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान सी) प्रासंगिक लीज की प्रतिलिपी
8	ए) इमरजेन्सी रिमेडियल एकशन के नोटिस की प्रतिलिपी (किसी भी शैड्यूल सहित) बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान
9	ए) इमरजेन्सी प्रोहिबिशन ऑर्डर के नोटिस(किसी अनुसूची सहित) की प्रतिलिपी बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान
10	प्रार्थना पत्र नम्बर 7 देखें
11	ए) इम्पूवमेन्ट नोटिस की प्रतिलिपी (किसी अनुसूची सहित) बी) खर्च करने का बयान

जारी है

अनुलग्नक 2: प्रार्थना पत्र साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जारी है)

आवेदन पत्र नम्बर	शामिल किए जाने वाले दस्तावेज
13	<p>ए) डिमॉलिशन ऑर्डर की प्रतिलिपी</p> <p>बी) लोकल एथोरिटी के कारणों का बयान</p> <p>सी) एक बयान जिसमें निम्न सम्मिलित हों:</p> <p>i. एल.एच.ए के खर्चे करने का बयान</p> <p>ii. सामग्री बेचने के द्वारा (यदि कोई है) धनराशि निकाली गई</p> <p>iii. धनराशि जो भवन/परिसर के मालिक से एल.एच.ए वापिस लेना चाहता है</p>
14	<p>ए) डिमॉलिशन ऑर्डर की प्रतिलिपी</p> <p>बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान</p> <p>सी) निम्न के बयान.</p> <p>i. उस भवन/परिसर में सम्बन्धित मालिकों की रूचि ; और</p> <p>ii. परिसर की देखभाल और मरम्मत के सम्बन्ध में उनकी सम्बन्धित बन्धन और जिम्मेदारियां</p>
15	<p>ए) डिमॉलिशन ऑर्डर की प्रतिलिपी</p> <p>बी) एल.एच.ए के कारणों का बयान</p> <p>सी) प्रासंगिक लीज की प्रतिलिपी</p>
16	<p>ए) प्रस्तावित कार्य का विवरण तथा किसी प्रस्तावित ठेकेदारों के नाम व पतों सहित, लागत का अनुमान और कार्य को शुरू करने व समाप्त करने की समय सारणी ।</p> <p>बी) विकास की स्कीम का विवरण, और स्कीम का विवरण और स्कीम की एल.एच.ए की स्वीकृति जहाँ प्रार्थना पत्र अनुसूची सेक्शन 318(1)(बी)के अन्तर्गत बनाई गयी हो।</p> <p>सी) आवेदक की वित्तीय स्थिति का बयान, काम की अनुमानित कीमत हेतु उपलब्ध फण्ड को दिखाते हुए शामिल करना ।</p> <p>डी) जहाँ लीज के निर्धारण के लिए तय कर लिया गया है उस लीज की प्रतिलिपी।</p>

एनैक्स 3. आर पी टी पैनल दफ्तरों के पते

नॉर्थन रेंट असेसमेंट पैनल

First Floor, 5 New York Street,
Manchester M1 4JB

टैलीफोन: 0845 100 2614 or 01612 379491

फैक्स: 0161 237 3656 or 0161 237 9491

यह आफिस नीचे लिखे मेट्रोपोलीटन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है: Barnsley, Bolton, Bradford, Bury, Calderdale, Doncaster, Gateshead, Kirklees, Knowsley, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle-upon-Tyne, Oldham, Rochdale, Rotherham, St. Helens, Salford, Sefton, Sheffield, Stockport, Sunderland, Tameside, Trafford, Tyneside (North & South), Wakefield, Wigan and Wirral.

यह नीचे लिखी युनिटी अथाटीयो को भी कवर करता है: Hartlepool, Middlesbrough, Redcar and Cleveland, Darlington, Halton, Blackburn with Darwen, Blackpool, Kingston-upon-Hull, East Riding of Yorkshire, Northeast Lincolnshire, North Lincolnshire, Stockton-on-Tees, Warrington and York.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cheshire, Cumbria, Durham, Lancashire, and Lincolnshire.

मिडलैण्ड रेंट असेसमेंट पैनल

2nd Floor, Louisa House, 92-93 Edward Street,
Birmingham B1 2RA

टैलीफोन: 0121 236 7837

फैक्स: 0121 236 9337

यह आफिस नीचे लिखे मेट्रोपोलीटन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है: Birmingham, Coventry, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall and Wolverhampton.

यह नीचे लिखी युनिटी अथाटीयो को भी कवर करता है: Derby, Leicester, Rutland, Nottingham, Herefordshire, Telford and Wrekin and Stoke-on-Trent.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Derbyshire, Leicestershire, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, Warwickshire and Worcestershire.

इस्टन रेंट असेसमेंट पैनल

Great Eastern House, Tenison Road,
Cambridge CB1 2TR

टैलीफोन: 0845 100 2616 or 01223 505112

फैक्स: 01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिटी अथाटीयो को भी कवर करता है: Bracknell Forest, West Berkshire, Reading, Slough, Windsor and Maidenhead, Wokingham, Luton, Peterborough, Milton Keynes, Southend-on-Sea and Thurrock.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk, Northamptonshire, Oxfordshire and Suffolk.

सदर्न रेंट असेसमेंट पैनल

1st Floor, 1 Market Avenue,
Chichester, PO19 1JU

टैलीफोन: 0845 100 2617 or 01243 779394

फैक्स: 01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिटी अथाटीयो को भी कवर करता है: Bath and Northeast Somerset, Bristol, North Somerset, South Gloucestershire, Bournemouth, Plymouth, Torbay, Poole, Swindon, Medway, Brighton and Hove, Portsmouth, Southampton and the Isle of Wight.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cornwall and the Isles of Scilly, Devon, Dorset, East Sussex, Gloucestershire, Hampshire, Kent, Somerset, Surrey, West Sussex and Wiltshire.

लंडन रेंट असेसमेंट पैनल

10 Alfred Place,
London WC1E 7LR

टैलीफोन: 020 7446 7700

फैक्स: 020 7637 1250

यह आफिस सारी लंडन बारी को कवर करता है।